भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2749
(05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत नौकरियों की मांग

2749. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई और अगस्त 2024 के बीच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत नौकरियों की मांग में गिरावट के क्या कारण हैं, जिनमें बेमौसम बारिश, प्रवासी श्रमिकों का शहरी नौकरियों में वापस लौटना और मजदूरी भुगतान में देरी जैसे कारक शामिल हैं;

(ख) ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अधिक कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे कम्पोस्ट पिट , जल संरक्षण और कटाई -पश्चात् प्रबंधन को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय परिवारों और व्यक्तियों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत नौकरी की मांग की निगरानी करता है;

(घ) यदि हाँ, तो अप्रैल से जून 2021-22 तक के विवरण दर्शाते हैं कि 6.28 करोड़ परिवारों ने काम की मांग की, जिनमें से 5.97 करोड़ को रोजगार प्रदान किया गया; और

(ङ) क्या मंत्रालय वास्तविक समय की निगरानी और जवाबदेही के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर (एनएमएमएस) और क्षेत्र अधिकारी ऐप का उपयोग कर रहा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। यह ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है , अर्थात् जब कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होता तब यह आजीविका के लिए विकल्प प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में मई से अगस्त के महीनों के दौरान सृजित श्रम दिवस नीचे दिए गए हैं:

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजित श्रम दिवस (आंकड़े करोड़ में)		
माह	2023-24	2024-25
मई से अगस्त	142.87	112.29

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

यह ध्यान देने योग्य है कि मांग -आधारित योजना होने के कारण, इसमें रोजगार की मांग में भिन्नता हो सकती है। हालाँकि काम की मांग और काम की पेशकश लगभग समान है , फिर भी वास्तव में सृजित श्रम दिवस और मांग के बीच का अंतर उन कारकों के कारण है जैसेकि श्रमिकों द्वारा इस प्रकार की पेशकश का कम उपयोग, बेहतर रोजगार के अवसरों का उपलब्ध होना, बीमारी या कोई अन्य प्रासंगिक कारण।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2025 की अनुसूची I के पैरा 4(2) के अनुसार, "बशर्ते कि जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि लागत के संदर्भ में किसी जिले में किए जाने वाले कम से कम 60% कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों से सीधे जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए होंगे।" महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 266 कार्य अनुमत हैं। जिनमें से 166 कार्य कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके अलावा, जल संरक्षण से संबंधित 85 कार्य हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि खाद के गड्ढों (compost pit) का निर्माण पहले से ही महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एक अनुमत कार्यकलाप है। मंत्रालय राज्य सरकारों या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर अनुमत गतिविधियों की सूची की समीक्षा करता रहता है। उचित जांच के बाद , नए कार्यों को अनुमत गतिविधियों की सूची में शामिल किया जाता है।

(ग) और (घ): केंद्र सरकार ने इस योजना के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। जिनमें (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रसार के लिए दीवार चित्रों सहित समुचित सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करना, (ii) कार्य की मांग पंजीकरण प्रणाली का दायर और कवरेज बढ़ाना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम की मांग अपंजीकृत न रहे, (iii) सहभागी पद्धति में योजनाएं तैयार करना और उन्हें ग्राम सभा में अनुमोदित करना, और (iv) 'रोजगार दिवस' का आयोजन करना शामिल हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ज़मीनी स्तर पर रोज़गार की माँग की कड़ी निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोजगार की कोई भी माँग अधूरी न रहे। वित्त वर्ष 2021-22 में, 99.55% पात्र ग्रामीण परिवारों को माँग के अनुरूप रोज़गार उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार, वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.07.2025 तक) के दौरान, 99.79% पात्र ग्रामीण परिवारों को माँग के अनुरूप रोज़गार उपलब्ध कराया गया है।

(ड.): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 01 जनवरी, 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के संबंध में एक दिन में श्रमिकों की दो-टाइम स्टाम्प वाले, जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

एनएमएमएस एप्लिकेशन के कार्यान्वयन से उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समग्र दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एनएमएमएस एप्लिकेशन मजदूरी के समय पर भुगतान में भी मदद करता है क्योंकि वेतन सूची और एफटीओ उसी दिन तैयार किए जा सकते हैं जिस दिन उपस्थिति दर्ज की गई हो। इससे पहले मैन्युअल उपस्थिति प्रणाली के कारण इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता था।

वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.07.2025 तक) के दौरान , योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) के माध्यम से 95.95% उपस्थिति दर्ज की गई है।

अधिकारियों को अपने निष्कर्षों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, मई 2021 में एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप शुरू किया गया। यह ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टाम्प वाले और भौगोलिक निर्देशांक टैग वाले फोटोग्राफ को रिकॉर्ड करने में भी मदद करेगा। यह निष्कर्षों के विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है जिससे योजनाओं के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलती है।